असफाक खान और अन्य

बनाम

उत्तरप्रदेश राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 230/2008)

1 फरवरी 2008

(डॉ अरिजीत पसायत और पी.सदाशिवम, जेजे.)

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज-प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के लिए रिट याचिका-उच्च न्यायालय के समक्ष अन्य रिट याचिकाओं में निर्णय/निर्णय के आधार पर खारिज-अपील पर-माना गयाः उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में रिट याचिकाओं के बैच में निर्णयों के अनुपात की प्रयोज्यता नहीं दिखाई-इसलिए मामला उच्च न्यायालय को प्रेषिति किया गया-दंड संहिता, 1860-धारा. 420 और 424-उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986-धारा 2 और 3.

अपीलार्थीगण ने भा0 द 0 सं0 की धारा 420 और 424 एंव धारा 2 व 3 उत्तरप्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 में कथित आरोप के लिए दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय

द्वारा रिट याचिका संख्या 10500/2005 के निर्णय के आधार पर रिट खारिज कर दी गई जिस पर यह अपील पेश हुई।

अपील को स्वीकार किया गया और मामले को उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया।

अभिनिर्धारितः जहां तक हस्तगत मामले का संबंध है उच्च न्यायालय के आदेश से यह दर्शित नहीं होता है कि निपटाई गई रिट याचिकाओं के एक बैच में निर्णय अनुपात कोई आवेदन या प्रासंगिकता कैसे था। मामल उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करने के लिए भेजा गया कि रिट याचिका 10500/2005 में शामिल तथ्यों और/या उस निर्णय के अनुपात की वर्तमान विवाद के संबंध में कोई प्रासंगिकता कैसे थी। (पैरा 5 व 6) (273 जी एवं 274 ए)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 230/2008

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 2590/2006 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय व अंतिम आदेश दिनांक 2.3.2006 से ।

सिद्धार्थ दवे और विभा दत्ता मखीजा अपीलार्थी की ओर से।

शैल कुमार द्विवेदी, ए.ए.जी.अभिषेक चौधरी, मनोज कुमार द्विवेदी,वन्दना मिश्रा, विभा, जी. वेंकटेश्वर राव और कमलेन्द्र मिश्रा उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरीजीत पसायत जे. के द्वारा दिया गया।

1- अनुमति प्रदान की गई।

2- इस अपील में अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश को चुनौती दी गई है।

3- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैंः

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (संक्षेप में भा0 दं0 सं0) की धारा 420 और 424 एवं उत्तरप्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 (संक्षेप में रोकथाम अधिनियम) की धारा 2 और 3 के तहत दण्डनीय अपराधों के कथित कमीशन के लिए दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में प्रथम सूचना रिपोर्ट) को निरस्त करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई। रिट याचिका में रूख यह था कि भले ही प्रथम सूचना रिपोर्ट को उसके अंकित मूल्य पर लिया जाए, लेकिन मानने की कोई गुंजाईश नहीं है कि अपीलार्थी ने धोखाधडी या रोकथाम अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया है। अधिक से अधिक

यह कर चोरी का मामला बन सकता है जिसके लिए संबंधित व्यापार कर अधिनियम के तहत कार्यवाही की अनुमति है।

4- दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि संदर्भित मामलों में, उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने प्रत्येक मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने के लिए कमोवेश समान प्रार्थनाओं वाले बडी संख्या में मामलों का निपटारा किया था। यह बताया गया है कि उच्च न्यायालय ने विभिन्न प्रकार के मामलों को वर्गीकृत किया था और ऐसी श्रेणियों में से एक वह थी जहां रोकथाम अधिनियम के तहत पिछला मामला लंबित नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी का मामला उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए निम्नलिखत मापदंडों और दिशानिर्देशों के अंतर्गत आता हैः

> ''(ए) यह उम्मीद की जाती है कि यदि आरोपी उक्त अवधि में हिरासत में है तो पुलिस द्वारा सामान्य कानून यानि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 के तहत निर्धारित सीमा के भीतर आरोप पत्र या अंतिम रिपोर्ट दाखिल करके जांच पूरी की जायेगी।
>
> (बी) यह उम्मीद की जाती है कि विशेष न्यायालय उन मामलो की सुनवाई समाप्त कर देगा, जहां अपराध की दर इतनी अधिक नही है, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख से 3 से

6 महीने की अवधि के भीतर एक सारांश प्रक्रिया लागू करना बेहतर होगा।

(सी) किसी आरोपी द्वारा अपील/निगरानी/समीक्षा लंबित होन की स्थिति में विशेष अदालत को मामले की सुनवाई में देरी से बचने के लिए अन्य सह आरोपियों के संबंध में पत्रावली को विभाजित करने का अधिकार होगा।

(डी) यदि कोई व्यक्ति ऐसे मामलों के संबंध में अदालत के समक्ष आवेदन करता है या आत्मसमर्पण करता है या पेश होता है, जहॉ अपराध की दर अधिक नहीं है, तो विशेष न्यायालय श्रीमती अमरावती और अन्य बनाम उत्तरप्रदेश राज्य में निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हुए इसका शीघ्रता से निस्तारण करती है।

(ई) यदि विशेष अदालत यह पाती है कि अपराध का मामला ना तो इतना नगण्य है और न ही अपराध की दर प्रकृति में कम है, तो वह कानून के अनुसार सख्ती से आगे बढेगा।

(एफ) विशेष अदालतों ओर पुलिस अधिकारियों का यह गंभीर कर्तव्य होगा कि वे जांच के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे दिशानिर्देशों का पालन करें।"

5. उच्च न्यायालय का आदेश यह नहीं दर्शाता है कि जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, निपटाई गई रिट याचिकाओं के एक बैच में निर्णय का अनुपात कैसे लागू या प्रासंगिक था।

6. उपरोक्त परिस्थितियों में, हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को रद्द करते हैं और मामले को इस पर विचार करने के लिए भेजते हैं कि 2005 की रिट याचिका संख्या 10500 में शामिल तथ्यों और या निर्णय के अनुपात की वर्तमान विवाद तक कोई प्रासंगिकता कैसे संबद्ध है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

7. अपील स्वीकार की गई।

के.के.टी.

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रेखा यादव (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।